(1) पत्रावली संख्या:- 43/2016/अपील

1 सुवालाल उम्र 45 वर्ष पुत्र गणेश जाति माली निवासी ग्राम मण्ढा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

2 मोहन लाल आयु 43 वर्ष पुत्र दूदाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थाना

3 लादूराम उम्र 40 वर्ष पुत्रत्र मन्नाराम जाति रैगर निवासी ग्राम मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थाना

4 जगीश सिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थाना

5 बंशीधर उम्र 36 वर्ष प्रभूराम जाति मीणा निवासी ग्राम मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थाना

अपीलान्ट

बनाम

1.हरेन्द्रसिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र नारायण सिहं जाति राजपूत निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.

2.तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थाना

रेस्पोडेन्टस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not official

(2) पत्रावली संख्या:- 44/2016/अपील

1 सुवालाल उम्र 45 वर्ष पुत्र गणेश जाति माली निवासी ग्राम मण्ढा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

2 मोहन लाल आयु 43 वर्ष पुत्र दूदाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थाना

3 लादूराम उम्र 40 वर्ष पुत्रत्र मन्नाराम जाति रैगर निवासी ग्राम मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थाना

4 जगीश सिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थाना

5 बंशीधर उम्र 36 वर्ष प्रभूराम जाति मीणा निवासी ग्राम मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थाना

अपीलान्ट

बनाम

1.सतीससिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र नारायण सिहं जाति राजपूत निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.

2.तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थाना

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नियमन आदेश दिनांकित 23.07.2012 व 25.07.2012 एवं उक्त आदेश के आधार पर जारी नियमन हेतु सनद दिनांक 27.07.2012 बाबत खसरा संख्या 1535 ग्राम मण्ढा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राजस्थान

21/3/18

उपरोक्त दोनों प्रकरण एक समान होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित किया जा रहा है।

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि ग्राम मण्ढा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में नेशनल हाईवे नम्बर 11 से खाटूश्यामजी, जाने वाले सड़क मार्ग से सटकर, सड़क मार्ग के पूर्व दिशा में आमजन के हित की सरकारी बंजड़ भूमि खसरा संख्या 1535 रकबा 0.24 हैक्टियर अवस्थित है उक्त भमि ग्रामीणजन हेतु जनउपयोगी भूमि है जिसमें ग्राम मण्ढा के निवासीगण अपना पशुधन भी चराते है एवं ग्राम पंचायत ने भी कचरा निस्तारण हेतु कचरा डाल रखा है तथा उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कभी भी अनाधिकृत कब्जा नहीं रहा है, नाही वर्तमान में है बल्कि उक्त भूमि मौका पर वर्तमान में भी पूर्णतया खाली है। उक्त भूमि के सम्बंध में तहसीलदार महोदय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में पारित आदेश में, राज्य सरकार के परिपत्र कमांक 9(6) राज. 6/2006/दिनांक 17.12.2008 का अंकन किया है जबकि नियमन पुराना कब्जा का किया जाता है परन्तु रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के, नातो चुनौतीग्रस्त आदेश में वर्णित भूमि पर मकान है, नाही बाड़ा है, नाही कभी कब्जा रहा है। नाही वर्तमान में कब्जा है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने अपने आदेश में भी यह अंकन किया कि –"प्रार्थी ने पुराने कब्जे बाबत कोई सबूत पेश नहीं किया।" फिर भी चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया, नाही अधिनस्थ तहसीलदार महोदय ने नियमन आदेश पारित करने से पूर्व मौका की वास्तविक स्थिति की जांच की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं हरेन्द्र सिंह दोनों सगे भाई है जिनके पक्ष में 500–500 वर्गगज भूमि का नियमन किया है उक्त दोनों ही ग्राम मण्ढा के निवासीगण नहीं है बल्कि ग्राम गोरधनपुरा के निवासीगण है जो ना तो कभी ग्राम मण्ढा में रहे है, नाही उनके पूर्वज कभी बाड़ा अथवा मकान बनाकर रहे है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में बजरी–पत्थर पड़े हुए होने का अंकन किया गया है फिर भी योग्य तहसीलदार ने गौर नहीं किया। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के साजसी व्यक्तियों द्वारा दिये गये शपथ–पत्रो में वर्णित तथ्यों की सत्यता की भी कोई जांच नहीं की। बल्कि आज दिनांक तक भी चुनौतीग्रस्त आदेश में वर्णित भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का कोई कच्चा अथवा पक्का निर्माण नही है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त आदेश की पत्रावली में सम्मलित तत्कालीन सरपंच की रिपोर्ट दिनांकित 20.04.2011 का भी रेवन्यू रिकार्ड से मिलान नहीं किया। उक्त रिपोर्ट राजस्व ग्राम गोरधनपुरा की भूमि खसरा संख्या 1535 के सम्बन्ध में प्रेषित है जबकि नियमन ग्राम मण्ढा (मदनी) की भूमि का, रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसके भाई के पक्ष में किया गया। खसरा संख्या 1535 रकबा 0.24 हैक्टियर ग्राम मण्ढा की बेसकीमती भूमि होकर जनउपयोगी एवं सार्वजनीक उपभोग–उपयोग की भूमी है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा कचरे का निस्तारण भी किया जाता है एवं गांव का पशुधन भी चरता है तथा अपीलान्ट्स अधिनस्थ तहसीलदार के समक्ष पक्षकार नहीं थे परन्तु वेग आदेश से प्रभावित व्यक्ति है। इसलिए अपीलान्ट्स को चुनौतीग्रस्त आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का पूर्णतया कानूनी अधिकार है। जिसकी इजाजत हेतु अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का आवेदन सादर प्रस्तुत है। अपीलांट को चुनौतीग्रस्त आदेश की पूर्व में जानकारी नहीं थी अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी उस समय हुई जब उक्त खाली भूमि पर अचानक ही भू–माफिया गिरोह के अजनबी लोग दिनांक 29.05.2016 को आ गये जिन्होनें उक्त सरकारी जन उपयोगी भूमि की नाप–जोक करना प्रारम्भ किया तब अपीलान्ट्स एवं ग्रामीण जनों ने नाप–जोक का कारण पूछा तो उक्त अजनबी व्यक्तियों ने बताया कि –" इस भूमि में से हरेन्द्र सिंह व सतीससिंह राजपूत निवासीगण गोरधनपुरा को 500–500 वर्गगज भूमि का वर्ष 2012 में नियमन करके नियमन हेतु सनद जारी की थी जिन्होनें 1000

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हरेन्द्रसिंह, सतीस

दिनांक 30.05.2016 को ही तहसील कार्यालय

1535 में से हरेन्द्र सिंह व सतीससिंह के नाम से वर्ष 2012 में हुए तथाकथित नियमन की जानकारी की एवं नकल का आवेदन प्रस्तुत किया नकल दिनांक 02.06.2016 को प्राप्त हुई जिससे अपीलान्ट्स को सर्वप्रथम चुनौतीग्रस्त आदेश की जानकारी हुई उससे पूर्व जानकारी नहीं थी तत्पश्चात ग्रामीणजनों से रायमशविरा किया व ग्रामीण जनो ने दिनांक 08.06.2016 को पंचायती करके अपील प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट्स को अधिकृत किया। इसलिए चुनौतीग्रस्त आदेश पारित करने की दिनांक 23.07.2012, 25.07.2012 से लेकर दिनांक 08.06. 2016 की अवधि को न्याय हित में कण्डोन किया जाने पर अपील अन्दर मियाद कानूनी मियाद है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश एवं उक्त आदेश के आधार पर जारी नियमन की सनद को खारिज किये जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा नियमन हेतु सनद आदेश दिनांक 27.07.2012 इस प्रकार है कि– ग्रामीण क्षेत्रों में आसामियों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरो, अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों/अन्य व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि यथा सिवाय चक/चारागाह/गैर मुमकिन भूमि पर आवास गृह/बाड़ा बनाकर किये गये अतिक्रमणों के नियमन के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के क्रमांक प.6 (17) राज/ख./71 दिनांक 3 जुलाई 1971 क्रमांक एफ 6 (10) राज/ग्रुप–4/77 दिनांक 23 अप्रेल 1977 तथा क्रमांक प–9 (6) राज–6/2000/16 दिनांक 16.10.2001 एवं क्रमांक 9 (6) राज–6/2000/1 दिनांक 17.12.2008 मे वर्णित प्रावधानों के अनुरूप रेस्पो. के पक्ष में नियमन किया किया जाकर स्वामित्व अधिकार प्रदान किये है। **योग्य अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा नियमन हेतु सनद जारी करने के लिए पारित आदेश दिनांक 25.07.2012 में स्पष्ट अंकित किया है कि "सरपंच ग्राम पंचायत मण्ढ़ा ने आवेदक को उक्त भूमि पर पिछले 20 वर्षो से काबिज होना बताया है। इसके अलावा प्रार्थी ने वर्ष 1995 में LR Act की धारा 91 के तहत जारी नोटिस की प्रति प्रस्तुत की है नोटिस से यह साबित है कि प्रार्थी इस भूमि पर वर्ष 1995 से काबिज है। इसके अलावा पुराने कब्जे बाबत कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 9 (6) राज–6/2000/1 दिनांक 17.12.2008 के तहत पुराने कब्जे के आधार पर भूमि का नियमन चाहता है। परिपत्र के तहत वर्ष 2001 से पूर्व के कब्जों का नियमन के प्रावधान है। कब्जा शुदा भमि का मेरे द्वारा मौका देखा गया, मौके पर आवेदक बाड़ा बनाकर काबिज है। कब्जा पुराना है नियमन हेतु सनद जारी हों।"** प्रार्थी द्वारा नियमन हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में अनाधिकृत मकान निर्माण की तारीख वर्ष 1980 अंकित की है एवं अतिक्रमण का प्रकार बाड़ा, करड़ी, डंडा, बजरी एवं पत्थर अंकित किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक का कहीं आवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 19.06.2012 में अतिचारी भूमि पर अतिक्रमण/कब्जे का प्रकार बजरी, पत्थर पड़े हुए होना बताया गया है एवं कब्जा सन् 2012 से होना बताया गया है। अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा इसकी ताईद में न्यायिक दृष्टांत RRD-1976, पेज नं. 148 व RRD-1980, पेज नं. 661 प्रस्तुत किये गये। अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत मुख्यतः इस प्रकरण से पूर्णतया भिन्न है जो लागू नहीं होते है। पटवारी हल्का रिपोर्ट के मुताबिक अतिचारी भूमि पर वर्तमान में अतिक्रमण/कब्जा बजरी, पत्थर का होना बताया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार सरकारी भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21/2/18

या सिवाय चक/चारागाह/गैर मुमकिन भूमि पर आवास गृह/बाड़ा बनाकर किये गये अतिक्रमणों के नियमन किये जाने हेतु जारी किया गया, किन्तु पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.06.2012 में बजरी, पत्थर मौके पर होना अंकित किया है जो आवास गृह/बाड़ा की श्रेणी में नहीं आते है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा परिवर्तित संवत् 2063 सन् 2006 में ग्राम मण्ढ़ा में राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना बताया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा विवादित स्थल के फोटोग्राफ पेश किये गये, जिसमें विवादित स्थल पर किसी प्रकार का आवास गृह/बाड़ा होना प्रकट नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अनाधिकृत मकान निर्माण सन् 1980 में बाड़ा, करड़ी, डंडा, बजरी व पत्थर होना अंकित है जबकि पटवारी रिपोर्ट में अनाधिकृत अतिक्रमण सन् 2012 में बजरी, पत्थर होना अंकित है एवं तहसीलदार द्वारा नियमन हेतु सनद जारी करने के लिए पारित आदेश दिनांक23.07.2012, 25.07.2012 में सरपंच ग्राम पंचायत मण्ढ़ा की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है जिसमें आवेदक का अनाधिकृत भूमि पर 20 वर्षो से कब्जा होना अंकित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, पटवारी रिपोर्ट एवं तहसीलदार द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश एक दूसरे से विरोधाभासी होने से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2012, 25.07.2012 एवं उक्त आदेश के आधार पर जारी नियमन हेतु सनद क्रमशः क्रमांक 1498–99 दिनांक 27.07.2012 एवं क्रमांक 1496–97 दिनांक 27.07.2012 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/3/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official